छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर
एफ.ए.एम. नंबर–80/2019

अभिषेक आ.श्री नारायण कच्छप उम्र–30 वर्ष
निवासी–ग्राम कंदई पोस्ट–निन्वा,
तहसील–साजा, जिला–बेमेतरा(छ.ग.) **... ... ...आवेदक**

विरुद्ध

श्रीमती सीमा पति अभिषेक कच्छप उम्र–33 वर्ष
व्यवसाय–शिक्षा कर्मी ग्रेड–03 निवासी–ग्राम कंदई
पोस्ट–निन्वा, तह.–साजा, जिला–बेमेतरा(छ.ग.)
... ...अनावेदक

आवेदक की ओर से– श्री एच.बी. अग्रवाल वरिष्ठ अधिवक्ता सहयोगी अधिवक्ता श्रीमती स्वाति अग्रवाल।
अनावेदक की ओर से– श्री विप्रसेन अग्रवाल अधिवक्ता

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

माननीय न्यायाधीश श्री गौतम भादुडी एवं
माननीय न्यायाधीश श्रीमति रजनी दुबे
माननीय न्यायाधीश श्री गौतम भादुडी द्वारा बोर्ड परिपारित निर्णय

दिनांक 15.12.2021

सुना गया––

01. यह तत्कालिन अपील पारिवारिक न्यायालय, बेमेतरा जिला बेमेतरा छ.ग. द्वारा विविध सिविल प्रकरण क्रमांक 11अ/2018 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.02.2019 के विरुद्ध अपीलार्थी(पति) द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत पति द्वारा दावा किया गया तलाक खारिज कर दिया गया था।

02. दोनों पक्षों के बीच विवाह दिनांक 21.06.2010 को संपन्न हुआ था तथा विवाह के समय प्रतिवादी(पत्नी) मोहभट्टा में शिक्षाकर्मी गेड–03 के पद पर पदस्थ थी, जिसका स्थानांतरण मोटेसरा गांव में हो गया था, जो ससुराल से लगभग 02 किलोमीटर दूर था । अप्रैल 2011 में प्रतिवादी(पत्नी) मायके आ गई । इसके बाद दहेज की मांग के लिये अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई जिसके लिये एक आपराधिक मामला कायम किया गया। पति ने दलील दी की दहेज की मांग के लिये एक झूठी शिकायत की गई थी जबकि उन्होने कभी भी प्रतिवादी(पत्नी) या उसके परिवार के सदस्यों से दहेज की मांग नही की गई है । यह भी दलील दी गई की एक समय कुछ वैवाहिक विवाद हुआ और अपीलकर्ता(पति) पर हमला किया गया और पत्नी ने पति का गला घोंटने की कोशिश की, जिसमें परिवार के कुछ सदस्यों ने हस्तक्षेप किया और इस तरह उसकी जान बच की । इसके बाद पति 07–08 साल से अलग रह रही है और पति के लिये पत्नी के साथ रहना संभव नही था, वह मानसिक रुप से परेशान था । उसका डॉक्टर ने ईलाज किया और इसका कारण पत्नी को बताया गया, इसलिये यह दलील दी गई थी कि 21.06.2010 की शादी को शून्य घोषित किया जाये और तलाक का आदेश पारित किया जाये ।

03. इसके विपरीत प्रतिवादी(पत्नी) ने आरोपी से इंकार किया और यह दलील दी गई कि उसे(पत्नी को) जो आभूषण दिये गये थे, वे दीवाली के त्यौहार के दौरान वापस ले लिये गए और उन्हें वापस नही किये गये तथा बाद में दहेज की मांग के लिये उसे परेशान किया गया जिसके लिये रिपोर्ट दर्ज कराई थी ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

04. विद्वान विचारण न्यायालय ने क्रूरता के आधार पर मुद्दे तय किये कि क्या, पति को झूठे मामले में फंसाया गया था और क्या, मानसिक कारण से असंतुलन हुआ । साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने तालाक की याचिका खारिज कर दी ।

05. विद्वान अधिवक्ता **श्री एच.बी. अग्रवाल** ने अपीलकर्ता(पति) की ओर से श्रीमती स्वाति अग्रवाल की सहायता से दलील दी कि मुख्य रुप से इस अपील में अन्य आधारों को छोडकर एक आधार उठाया जा रहा है यह कहा गया है कि प्रतिवादी के द्वारा की गई रिपोर्ट झूठी रिपोर्ट के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बेमेतरा के दिनांक 23.02.2017 के आदेश पर अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 ए, 506 बी के तहत दोषी ठहराया गया था। सजा के उक्त फैसले को सत्र न्यायालय बेमेतरा के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसमें पति और परिवार के सदस्यों को आरोपो से बरी कर दिया गया था और दिनांक 23.02.2017 की सजा को रद्द कर दिया गया था इसलिये पत्नी द्वारा झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। प्रस्तुतीकरण के समर्थन में उन्होनें **के.श्रीनिवास राव विरुद्ध डी.ए. दीपा** और **जी.व्ही. एन. कामेश्वरा राव बनाम जी. जाबिल्ली** के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया और कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार यदि पति और पत्नी के परिवार के सदस्यों को मामले मे झूठा फंसाया गया है और यदि ऐसे मामले में अंतिम परिणाम बरी हो जाता है, तो यह वैवाहित कृत्य के अंतर्गत क्रूरता होगी ओर इसलिये, केवल इसी आधार पर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तलाक का आदेश पारित किया जाना आवश्यक है । उन्होंने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के तहत इस न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर किया गया है जिसे रिकार्ड पर अतिरिक्त साक्ष्य के रुप में स्वीकार किया जाना चाहिये और विचारण न्यायालय के निर्णय को रद्द किया जाना चाहिये ।

06. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता श्री विप्रासने अग्रवाल ने दलील दी की अपीलकर्ता की शिकायत इतनी अस्पष्ट थी कि उसे कोई राहत नहीं दी जा सकती । उन्होंने राहत खण्ड का हवाला दिया और यह प्रस्तुत किया कि यह विशेष रुप से तर्क दिया गया था कि विवाह को शून्य एवं अमान्य घोषित किया जाये और तालाक का आदेश पारित किया जाये । सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 07 और नियम 08 का हवाला देते हुये यह दलील दी गई है कि राहत को स्पष्ट रुप से बताया जाना आवश्यक है, जो अस्पष्ट नही हो सकता है और यदि शून्यता की राहत पर दावा किया जाता है तो यह हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 और धारा 11 के तहत तालाक का दावा करने वाली राहत के साथ नही हो सकता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

07. यह कहा गया है कि **हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 11** को शून्य विवाहों को कवर करती है और **धारा 13 तालाक** के लिये आधार प्रदान करती है जिस पर राहत का दावा किया जा सकता है उन्होनें आगे कहा कि हांलाकि क्रूरता एक आधार है और इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498, 506 भाग दो के तहत अपराध के लिये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के फैसले के आधार पर **धारा 04 दहेज प्रतिषेध अधिनियम**, सिविल प्रक्रिया संहिता के **आदेश 41**

नियम 27 की भाषा पर विचार करते हुये इसे साक्ष्य के रुप में स्वीकार नही किया जा सकता । वे प्रस्तुत करेंगे कि स्वयं की स्वीकारोक्ति के अनुसार जो निर्णय रिकार्ड पर रखे गये थे वे सभी अपीलकर्ता दायर नही किया गया था, इसलिये इसकी अनुमति नही दी जा सकती थी और पार्टियों को सिविल प्रक्रिया संहिता के **आदेश 41 नियम** 27 के तहत उन्हें प्रस्तुत करके राहत का दावा करना आवश्यक था । भारत संघ बनाम इब्राहिम उद्दीन और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय पर भरोसा किया जाता है । यह प्रस्तुत करने के लिये राहत प्रदान नही की जा सकती है और प्रस्तुत करते है कि मामले का निर्णय पार्टियों के दलीलो के बाहर के आधार पर नही हो सकता है । उन्होनें आगे कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के **आदेश 41 नियम** 27 के तहत प्रस्तुत आवेदन जो अपीलीय अदालत को अतिरिक्त साक्ष्य लेने में सक्षम बनाता है, का प्रयोग अपवादात्मक मामलों में संयम से प्रयोग किया जाना चाहिये और इस मामले में जिस प्रकार का निवेदन किया गया है उसमें अपीलकर्ता को सत्र न्यायायल द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय पर भरोसा करने की अनुमति नही मिलेगी ।

08. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है ।

09. इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता ने केवल एक आधार उठाया है कि दहेज निषेध अधिनियम की धारा 04 के साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498, 506 बी के तहत एक झूठी रिपोर्ट पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई थी जिसके परिणामस्वरुप सत्र न्यायालय के आदेश से उसे बरी कर दिया गया इसलिये यह क्रूरता मानी जाएगी ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के **आदेश 41 नियम 27** के तहत हलफनामें के साथ एक आवेदन दायर किया गया है जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बेमेतरा द्वारा दिनांक 23.02.2017 को दोषसिद्धी की प्रारंभिक निर्णय और उसके बाद सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 02.08.2017 को बरी करने का आदेश अभिलेख पर है, दोनों ही अभिलेख की प्रमाणित प्रति है ।

10. पति द्वारा दायर शिकायत के **पैरा 04** के अवलोकन से यह दलील दी गई कि पत्नी ने दहेज की मांग के बारे में पुलिस थाना बेमेतरा में झूठी शिकायत दर्ज कराई गई और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है । जवाब में पत्नी ने पूरी तरह से इंकार किया है । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सजा के आदेश की प्रमाणित प्रति से पता चलता है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 04 के साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498, 506 बी के तहत अपराध, अपराध संख्या 511/2011 के तहत दर्ज किया गया था । जिसमें पति और परिवार के सदस्यों की गिरफतारी वर्ष 2011 में की गई थी । प्रतिवादी(पत्नी) सीमा कश्यप की उक्त आपराधिक मामले में पी.डब्लू –01 के रुप में जाँच की गई, जिसका अर्थ है कि पत्नी अपनी रिपोर्ट के आगे अभियोजन के पक्ष में उपस्थित हुई थी जिसके परिणास्वरुप मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रारंभिक सजा हुई । बाद में जो आदेश रिकार्ड में रखा गया है उससे पता चलता है कि उक्त निर्णय और दोषसिद्धी को आपराधिक अपील संख्या 22/2017 में सत्र न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी । जिसमें सत्र न्यायालय ने 02.08.2017 के अपने आदेश के तहत अपीलकर्ता को आरोपो से बरी कर दिया गया था और दोषसिद्धी को रद्द कर दिया

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

था ।

11. चूँकि यह एक आपराधिक न्यायालय का निर्णय है इसलिये यह दर्शाना प्रासंगिक होगा कि मुकदमा एक रिपोर्ट पर हुआ था जिसके परिणामस्वरुप प्रारंभिक दोषसिद्धी और फिर बरी हो गया । चुँकि यह निर्णय की प्रमाणित प्रति है इसलिये न्यायालय इस पर न्यायिक संज्ञान ले सकेगा । ताकि इस तथ्य की पुष्टि हो सके कि रिपोर्ट पत्नी द्वारा बनाई गई थी जिसके परिणास्वरुप अंततः बरी हो गया । सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 अपीलीय न्यायालय को आसाधारण परिस्थितियों में अतिरिक्त साक्ष्य लेने का अधिकार देता है। वर्तमान मामले में यह विवादित नही है कि पत्नी की रिपोर्ट पर आपराधिक केस संस्थित किया गया था जिसके लिये मुकदमा चला । यह स्वीकृत तथ्य है इसलिये हमारे विचार से, न्यायालय का विवेक न्याय के कारण को आगे बढ़ाने के लिये साक्ष्य के रुप में उक्त दस्तावेज यानि दोषसिद्धी और बरी की प्रमाणित प्रतियों को स्वीकार करने के पक्ष में होगा और इसे केवल दरकिनार नही किया जा सकता है । इसलिये निर्णय की प्रति होने के कारण इसे प्रासंगिक तथ्य होने के कारण अभिलेख में साक्ष्य के रुप में स्वीकार किया जाता है । जिसके परिणामस्वरुप सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के तहत आवेदन को स्वीकार किया जाता है ।

12. पत्नी द्वारा उठाये गये तर्क के संबंध में राहत प्रदान नहीं की जा सकती, क्योंकि विवाह की शून्यता और तालाक के बारे में दो विरोधाभासी राहत का दावा किया गया है। याचिका के राहतखण्ड का अवलोकन किया जाता है राहतखण्ड में, जिस

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्राथमिक राहत का दावा किया गया था, वह दर्शाता है कि विवाह को शून्य घोषित करके तालाक की राहत का दावा किया गया है। इस तथ्य की व्याख्या करना बहुत ही तकनीकी होगा कि पति ने तालाक के साथ साथ शून्यता के आदेश का भी दावा किया है। जैसा कि प्रतीत होता है कि प्राथमिक इरादा यह दर्शाता है कि विवाह विच्छेद(तालाक)(विवाह विच्छेद) डिक्री का दावा किया गया था इसलिये प्रतिवादी का यह निवेदन की राहत दलील से परे थी, प्रथम दृष्टया स्वीकार नही किया जा सकता है ।

13. अब मानसिक क्रूरता के सवाल पर वापस आते है । उन मामलों के संबंध में जिनमें पत्नी द्वारा रिपोर्ट की गई थी, अंततः दोषमुक्ति हुई । जी.व्ही.एन. कामेश्वर राव बनाम जी. जबिल्ली और के. श्रीनिवास राव बनाम डी.ए. दीपा के मामलो में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निधार्रित कानून प्रासंगिक होगा ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. जी.व्ही.एन. कामेश्वर राव बनाम जी. जबिल्ली के मामलो में सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित निर्णय लिया––

> 12. क्या, प्रतिवादी द्वारा किये गये कृत्य क्रूरता की श्रेणी में आते है और इसका मूल्यांकन सामाजिक जीवन में पक्षो की स्थिति, उनक रीति रिवाजों, परम्पराओं और अन्य समान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये किया जाना है, सामुदायिक जीवन में विवाह की पवित्रा और महत्व को ध्यान में रखते हुये न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या, प्रति–याचिकाकर्ता का आचरण ऐसा है कि याचिकाकर्ता के लिये अब और कष्ट सहना असहनीय हो गया है और

साथ रहना असंभव है और उसके बाद ही न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि प्रति–याचिकाकर्ता की ओर से क्रूरता की गई है । इसका निर्णय किसी एक घटना से नही, बल्कि सभी प्रासंगिक परिस्थितियों के समग्र विचार से किया जाना चाहिये ।

15. क्रूरता को विपरीत पक्ष द्वारा पीडित करने के इरादे से किया गया कार्य भी कहा जा सकता है । इसके आगे कहा गया कि एक पति या पत्नी के कहने पर झूठी पुलिस शिकायत और उसके परिणामस्वरुप सामाज में प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा की हानि भी क्रूरता के बराबर होगी ।

16. इसके अलावा के. श्रीनिवास राव बनाम डी.ए. दीपा के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मानसिक क्रूरता का मापदण्ड निर्धारित किया गया जो इस प्रकार है––

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. समर घोष के मामले में इस न्यायालय ने ऐसे उदाहरणात्मक मामले प्रस्तुत किये है जहां **"मानसिक क्रूरता"** का अनुमान लगाया जा सकता है। यह सूची स्पष्ट रुप से संपूर्ण नही है, क्योंकि प्रत्येक मामला अपने स्वयं के विशिष्ट तथ्यात्मक मैट्रिक्स प्रस्तुत करता है और मानसिक क्रूरता के अस्तित्व या अन्यथा का निर्णय उस पर विचार करने के बाद ही किया जाना चाहिये। हमें समर घोष के प्रासंगिक पैराग्राफ को उद्धत करना चाहिये। हमने केवल उन उदाहरणों को पुनः प्रस्तुत किया है जो वर्तमान मामलें के लिये प्रासंगिक है**(एस.सी.सी. पृष्ट 546–47 पैरा 101)**

101. मार्गदर्शन के लिये कभी भी कोई सामान मानक निर्धारित नहीं किया जा सकता है फिर भी हम मानसिक क्रूरता के कुछ उदाहरणों को सूचीबद्ध करना उचित समझते है जो मानसिक क्रूरता के मामलों से निपटने में प्रासंगिक हो सकता है। आगे के पैराग्राफ में दर्शाये गये उदाहरण केवल उदाहरणात्मक है और संपूर्ण नही है ।

(i) पक्षकारों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन पर विचार करते हुये, तीव्र मानसिक पीडा, वेदना और कष्ट, जिसके कारण पक्षकारो के लिये एक दूसरे के साथ रहना संभव न हो, मानसिक क्रूरता के व्यापक मापदण्डों के अंतर्गत आ सकता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ii) पक्षकारों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन का व्यापक मूल्यांकन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि स्थिति ऐसी है कि पीडित पक्षकार को इस प्रकार का आचारण सहन करने तथा दूसरे पक्षकार के साथ रहना जारी रखने के लिये उचित रुप से नही कहा जा सकता ।

(iii) * * *

(iv) मानसिक क्ररता मन की एक अवस्था है । एक जीवन साथी में दूसरे के आचारण के कारण लम्बे समय तक गहरी पीडा, निराशा, हताशा की भावना मानसिक क्रूरता का कारण बन सकती है ।

(v) पति या पत्नी कोई यातना देने, सुविधा पहुँचाने, या उनके जीवन को दयनीय बनाने के लिये लगातार अपमानजनक और अपमानजनक

व्यवहार करना ।

(vi) एक पति या पत्नी का लगातार अनुचित आचारण और व्यवहार वास्तव में दूसरे पति या पत्नी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। शिकायत किया गया व्यवहार और उसके परिणास्वरुप उत्पन्न होने वाला खतरा या अशंका बहुत गंभीर, पर्याप्त और भारी होनी चाहिये ।

(Vii)–(ix) * * *

(X) विवाहित जीवन की समग्र रुप से समीक्षा की जानी चाहिये और एक वर्ष की अवधि में कुछ छिटपूट घटनाओं को क्रूरता नही माना जाएगा । दुर्व्यवहार काफी लंबी अवधि तक जारी रहना चाहिये, जहाँ संबंध इस हद तक खराब हो गया हो कि पति या पत्नी के कार्यों और व्यवहार के कारण, पीडित पक्ष को दुसरे पक्ष के साथ रहना बहुत कठिन लगता हो और इससे अधिक समय तक ऐसा करना मानसिक क्रूरता माना जा सकता है ।

(xi)–(xiii)

(xiv) जहाँ लगातार अलगाव की लंबी अवधि रही है, वहाँ यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वैवाहिक बंधन को सुधारा नही जा सकता। विवाह एक काल्पनिक बंधन बन जाता है, हांलाकि कानूनी बंधन द्वारा समर्थित होता है। उस बंधन को तोडने से इंकार करके,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ऐसे मामलों में कानून विवाह की पवित्रता की सेवा नही करता ; इसके विपरीत यह पक्षो की भावनाओं और भावनाओं के प्रति बहुत कम सम्मान दिखाता है । ऐसी स्थितियों में, यह मानसिक क्रूरता को जन्म दे सकता है ।

17. इस मामले के तथ्यों की जाँच से पता चलता है कि पत्नी ने भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 498–क, 506 बी एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 04** के तहत शिकायत कराई है। पति और पति के परिवार के सदस्यों को इस मुकदमें से गुजरना पडा और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराया गया। इसके बाद अपील में इसे चुनौती देने के बाद सत्र न्यायालय ने उन्हें आरोपों से बरी कर दिया। मौजूदा तथ्य बताते है कि समझौते की कोई संभावना नही है और एक दूसरे के आरोपों की रिपोर्ट और काउन्टर रिपोर्ट के कारण और विवाह में एक अपूर्णीय टूटन है। यह स्पष्ट है कि जब पति और परिवार के सदस्य मुकदमें से गुजरते है, तो मानसिक पीडा और समाज में उनकी प्रतिष्ठा को हुये नुकसान की भरपाई नही की जा सकती है और उचित मामलों में पक्ष हमेशा के लिये और आने वाले समय के लिये अपना स्वस्थ्य जीवन जीने का तरीका खो सकते है ।

18. इन परिस्थितियों में और उपर की गई चर्चा के मद्देनजर अपील स्वीकार किये जाने योग्य है और इसके द्वारा अनुमति दी जाती है ।

19. तदनुसार कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 01.02.2019 का निर्णय निरस्त किया जाता है। दिनांक 21.06.2010 को पक्षों के बीच संपन्न विवाह

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

तलाक के आदेश द्वारा विघटित हो जाता है। मामले की वास्तिकता यह है कि कार्यवाही की बहुलता और मुकदमेबाजी की बार–बार पुनारावृत्ति से बचने के लिये यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता/पति, पत्नी द्वारा स्त्री धन के दावे सहित सभी भावी दावों के लिये एक मुस्त निपटान के रुप में 10,00,000/–रुपये का स्थाई गुजारा भत्ता देगा। खर्च के संबंध में कोई आदेश नही ।

20. तदनुसार डिक्री की जायेगी ।

सही /–
(गौतम भादुडी)
न्यायाधीश

सही /–
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**